# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

**पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा** आर.ए.एस.

**अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 91/2017**

1. हेमन्त पुत्र श्री हरबन्स जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. नारायण साहू पुत्र श्री प्रेम सागर जाजि जाट उम्र 12 वर्ष नाबालिग जरिये कुदरतवली माता सरोज पत्नी प्रेम सागर जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

**– – वादीगण**

## –:: बनाम ::–

1. बलराम पुत्र श्री सुरजाराम
2. चन्द्रभान
3. हरबन्स
4. प्रेमसागर

पुत्रान बलराम जाति जाट निवासी साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

5. लक्ष्मी पुत्री हरबन्स पत्नी श्री श्यामसुन्दर जाति जाट निवासी गोलूवाला तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
6. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

**– – प्रतिवादीगण**

## दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवम् खाता तकसीम

## –:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री मनोहर लाल सहारण अधिवक्ता | वादी |
| 2. | श्री हरीश सोनी अधिवक्ता | प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 |

## –:: निर्णय ::–

**दिनांक :– 20.06.2017**

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 6 के विरूद्ध यह वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 एफ छोटी खतौनी संख्या 38/40 के मुरब्बा नम्बर 40 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.240 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.325 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1.253 हैक्टर नहरी कुल 8.818 हैक्टर नहरी मय खाला राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 3 जी छोटी की खतौनी संख्या 17/15, 16 के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 में 5.060 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 4 में 1.012 हैक्टर कुल दोनो मुरब्बो में 6.720 हैक्टर रकबा प्रतिवादी संख्या 2 व उसके पुत्र के नाम से दर्ज है।

तहसील श्रीगंगानगर के चक 4 एफ छोटी की खतौनी संख्या 99/94 के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 25 में 6.198 हैक्टर नहरी मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/3 में 0.152 हैक्टर नहरी कुल 6.350 हैक्टर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम दर्ज है।

उपरोक्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से है वह प्रतिवादी संख्या 1 को अपनें पिता के हकों घोषणा व खाता तकसीम की डिक्री वर्ष 1997 द्वारा प्राप्त हुआ है यह समस्त रकबा जद्दी जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है। जिसको वह पानें का अधिकारी है।

लगातार ..... 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

उपरोक्त समस्त रकबा जो प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के नाम है वह संयुक्त अविभाजित परिवार की संयुक्त सम्पत्ति है चूँकि वादीगण एवम् प्रतिवादीगण काफी बड़ा हो गया था व रकबा दो चकों में व कई खातों में होनें के कारण प्रत्येक पक्ष के लिये काश्त करनें में असुविधा हो रही है। तथा वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं होनें के कारण लगान, आबियाना देनें में पानी की भराई खिचाई में बैक ऋण सुविधा व सरकारी अनुदान का पुरा फायदा नहीं मिल पाता है। इस कारण हक व हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त अनुसार खाता तकसीम करवाकर अपना रकबा राजस्व रिकार्ड में अपनें नाम दर्ज करवाना आवश्यक व जरूरी हो गया था।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण नें काश्त की सहुलियत अच्छी आबपाशी उपजाऊ बाग व बिना बाग वाली भूमि का हक व हिस्सा अनुसार परिवार के प्रेमभाव को कायम रखते हुए आज से बरीबन एक वर्ष पूर्व घरेलु बंटवारा कर लिया था इस घरेलु बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है। तथा बिना किसी विघन के अपनें हक व हिस्सा के रकबा का उपयोग व उपभोग करता आ रहा है।

प्रतिवादी संख्या 1 नें उपरोक्त सभी जद्दी जायदाद में अपनें बड़े पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 को 24 बीघा भूमि व अपनें छोटै पुत्रों प्रतिवादी संख्या 2 व 3 के नाम 12–12 बीघा रकबा का उनकें नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन करवा दिया है जबकि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 करीबन 12–12 बीघा रकबा का हक व हिस्सा और बनता है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 नें प्रत्येक पक्षकार के हक व हिस्सा अनुसार कब्जा काश्त अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को 10–10 बीघा रकबा जो घरू बंटवारा में उनको दे रखा था क्योंकि यह जद्दी जायदाद है इसलिये उसमें वादीगण का भी हक बनता है इस कारण प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से रकबा में वादीगण घरू बंटवारा अनुसार 10–10 बीघा रकबा पानें का अधिकारी है।

घरू बंटवारा के अनुसार प्रत्येक पक्ष के हिस्सा में रकबा निम्न प्रकार से आया :–

1. वादी संख्या 1 हेमन्त का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.240 हैक्टर नहरी मय खाला मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1.253 हैक्टर नहरी कुल 2.493 हैक्टर
2. वादी संख्या 2 नारायण साहू का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 10 में कुल 2.530 हैक्टर
3. प्रतिवादी संख्या 1 बलराम का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 11 ता 25 में 3.795 हैक्टर
4. प्रतिवादी संख्या 2 चन्द्रभान का हिस्सा :– चक 3 जी छोटी के खाता संख्या 17/15, 16 में दर्ज 6.072 हैक्टर रकबा नहरी
5. प्रतिवादी संख्या 3 हरबन्स का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.023 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/3 में 0.152 हैक्टर कुल 3.175 हैक्टर नहरी।
6. प्रतिवादी संख्या 4 प्रेमसागर का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 3, 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 3.175 हैक्टर नहरी
7. प्रतिवादी संख्या 5 लक्ष्मी नें जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेनें से मना कर दिया है इसलिये उसको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

वादीगण नें कई बार प्रतिवादीगण से कहा कि घरू बंटवारा अनुसार जो रकबा हमारें हक व हिस्सा में आया है उस रकबा को हमारे नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानें के लिये आप सक्ष्म अधिकारी के समक्ष सहमति के ब्यान कर दो पहले तो आजकल आजकल

लगातार ..... 3

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

करते रहे फिर आज से 10 रोज पूर्व स्पष्ट इन्कार हो गये है और कहनें लगे कि हम तो घरू बंटवारा को नहीं मानते है और ना ही तुम्हारें पक्ष में सहमति के ब्यान करते है। और ना ही रकबा तुम्हारें नाम दर्ज करवाते है बस यही बिनाय दावा है जो कि वादीगण को प्रतिवादी के खिलाफ हासिल हुआ है।

वादी संख्या 2 नाबालिग है इसलिये उसकी प्राकृति संरक्षक उसकी माता श्रीमति सरोज है जो उसकी तरफ से दावा दायर कर रकबा वादी संख्या 2 नाबालिग के नाम से दर्ज करवानें की अधिकारणी है।

अतः दावा पेश करके निवेदन है, कि दावा निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :–

1. घोषित किया जावे के वादीगण व प्रतिवादीगण वाद पत्र की मद संख्या 10 में दर्ज रकबा के खातेदार काश्तकार है
2. इसी अनुसार खाता तकसीम किया जाकर लगान व आबियाना कायम किया जावे।
3. खर्चा मुकद्मा दिलाया जावे।
4. अन्य कोई आज्ञा जो न्याय संगत व हम वादीगण के हित में हो प्रदान की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य आपसी राजीनामा होनें के कारण न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादीगण की पहचान श्री पवन शाक्य अधिवक्ता तथा प्रतिवादीगण की पहचान श्री हरीश कुमार सोनी अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि गांव के मौतबिरान व्यक्तियो द्वारा वादी एवं प्रतिवादीगण का आपस में राजीनामा करवा दिया है, इस राजीनामा के अनुसार अपनें अपनें हक व हिस्सा पर काबिज है। राजीनामा अनुसार रकबा निम्नानुसार आया है :–

1. प्रथम पक्षकार संख्या 1 हेमन्त का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.240 हैक्टर नहरी मय खाला मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1.253 हैक्टर नहरी कुल 2.493 हैक्टर
2. प्रथम पक्षकार संख्या 2 नारायण साहू का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 10 में कुल 2.530 हैक्टर
3. द्वितीय पक्षकार संख्या 1 बलराम का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 11 ता 25 में 3.795 हैक्टर
4. द्वितीय पक्षकार संख्या 2 चन्द्रभान का हिस्सा :– चक 3 जी छोटी के खाता संख्या 17/15, 16 में दर्ज 6.072 हैक्टर रकबा नहरी
5. द्वितीय पक्षकार संख्या 3 हरबन्स का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.023 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/3 में 0.152 हैक्टर कुल 3.175 हैक्टर नहरी।
6. द्वितीय पक्षकार संख्या 4 प्रेमसागर का हिस्सा :– चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 3, 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 3.175 हैक्टर नहरी
7. द्वितीय पक्षकार संख्या 5 लक्ष्मी नें जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेनें से मना कर दिया है इसलिये उसको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

राजीनामा के अनुसार डिक्री पारित की जावे उक्तराजीनामा पक्षकारान नें अपनी स्वेच्छा सहमति तथा बिना किसी जबर दबाव के अपनी इच्छा से पढ़ सुन समझ व सही मानकर अपनें हस्ताक्षर किये है।

लगातार ..... 4

राज पैरोकार द्वारा राज्य सरकार की और से जबाब प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया कि वाद पत्र वर्णित भूमि का पक्षकारान के मध्य आपसी विवाद है राज्य पक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। सुनवाई राज्य पक्ष के हितो को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया जावे तो राज्य पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।

चुँकि प्रकरण में वादीगण एवम् प्रतिवादी के मध्य कोई प्रतिवाद नहीं होनें से तनकियात नहीं बनाई गई। वादी हेमन्त पुत्र हरबन्स द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र पेश किये। वादी एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे तथा शपथ पत्र पर बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्ता नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए उसी अनुसार वाद डिक्री किया जाकर वाद का निर्णय करनें हेतु निवेदन किया।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। बाद अवलोकन वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व 53 के तहत उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादीगण एवम् प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 के मध्य भूमि का विभाजन निम्नानुसार किया जाता है :–

1. <u>वादी संख्या 1 हेमन्त का हिस्सा :–</u> चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 1 ता 5 में 1.240 हैक्टर नहरी मय खाला मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 1.253 हैक्टर नहरी कुल 2.493 हैक्टर
2. <u>वादी संख्या 2 नारायण साहू का हिस्सा :–</u> चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 1 ता 10 में कुल 2.530 हैक्टर
3. <u>प्रतिवादी संख्या 1 बलराम का हिस्सा :–</u> चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 36 के किला नम्बर 11 ता 25 में 3.795 हैक्टर
4. <u>प्रतिवादी संख्या 2 चन्द्रभान का हिस्सा :–</u> चक 3 जी छोटी के खाता संख्या 17/15, 16 में दर्ज 6.072 हैक्टर रकबा नहरी
5. <u>प्रतिवादी संख्या 3 हरबन्स का हिस्सा :–</u> चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 18 ता 23 में 3.023 हैक्टर मुरब्बा नम्बर 23 के किला नम्बर 6/3 में 0.152 हैक्टर कुल 3.175 हैक्टर नहरी।
6. <u>प्रतिवादी संख्या 4 प्रेमसागर का हिस्सा :–</u> चक 4 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 13 के किला नम्बर 3, 4 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 में कुल 3.175 हैक्टर नहरी
7. <u>प्रतिवादी संख्या 5 लक्ष्मी</u> नें जद्दी जायदाद में अपना हिस्सा लेनें से मना कर दिया है इसलिये उसको कोई हिस्सा नहीं दिया गया है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार स्टाम्प डयुटी प्रस्तुत किये जानें पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 20.06.2017 को लिखवाया जाकर राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 के अन्तर्गत ग्राम ग्राम पंचायत लाधुवाला के मजमे आम में सुनाया गया।

(गोपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर